APP-A
Orim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

2022/310

अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर मुकाम झुन्झुनू

जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव बनाम श्री सुभाषचन्द्र पुत्र श्री रामीलाल

मुकदमा FSSAI नं. 48 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/9/22	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एव नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 21/09/2022 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर झुंझुनू	
21/9/22	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 13/10/22 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर झुन्झुनूं	
13/10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 28/10/22 को पेश हो।	
28/10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 25/11/22 को पेश हो।	
25/11/22	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। पी.ओ. साहब राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 15/12/22 को पेश हो।	
15/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज न्यायिक कार्य स्थगन रखा गया है। पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 24/1/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested

खाद्य सुरक्षा बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	प्र. न. 48 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24/1/23	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदक स्वयं उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत जबाब पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

अनावेदक/अभियुक्त का कथन है कि उसकी पिलानी सुरजगढ रोड़, बालाजी मन्दिर के पीछे, धिंधवा बिचला, पिलानी झुन्झुनू में मै0 छवी एन्टरप्राइजेज के नाम से फर्म है जहां वह घी (लूज) का बेचान करता है। उसकी फर्म से घी (लूज) का सैम्पल लिया गया था जो कि Food containing extraneous matter पाया गया है। अनावेदक ने निवेदन किया कि उसने उक्त कारोबार ही बन्द कर दिया है। अतः उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये।

हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1889/एक्ट/2022/1880 दिनांक 19.05.2022 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी (लूज) Food containing extraneous matter पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूंकि अनावेदक अपनी फर्म मै0 छवी एन्टरप्राईजेज पर घी (लूज) का बेचान करता है तथा स्वयं फर्म मालिक है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ घी (लूज) Food containing extraneous matter पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक श्री छवी एन्टरप्राईजेज, पिलानी सुरजगढ रोड़, बालाजी मन्दिर के पीछे, धिंधवा बिचला, पिलानी, झुन्झुनू को धारा 26 की उपधारा (2) (II) का दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 15000/- पन्द्रह हजार रूपये अर्थदण्ड/जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्य[illegible] मुख्य चिकित्सा [illegible] स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2023.08.04 12:03:35 IST
Reason: SelfAttested